भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3093
मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/श्रावण17, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

एनसीडीसी द्वारा सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना

3093. श्री संतोष पान्डेय:
श्री धर्मेन्द्र कश्यप:
श्री चुन्नीलाल साहू:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान एनसीडीसी द्वारा संवितरित किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों को संवितरित किए गए ऐसे ऋणों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या तथा राशि कितनी है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निगम है जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने तथा सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु एक संसदीय अधिनियम (रा.स.वि. नि. अधिनियम – 1962) के अंतर्गत दिनांक 14.03.1963 को हुई।

निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढीकरण तथा विकास करना है। निगम कृषि विपणन एवं निवेशों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला तथा कृषि उत्पाद के विपणन तथा बीजों, उर्वरकों एवं अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष रुप से बल देता है। निगम गैर कृषि क्षेत्रों में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कोशकीटपालन, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि पर विशेष बल देते हुए आय सृजित कार्यकलापों के संवर्धन हेतु सुविधाओं से सज्जित सहकारिताओं के लिए प्रयासरत है। एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक तथा अन्य योजनाओं का विवरण **अनुबंध-1** में संलग्न है।

इसके अलावा, 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को प्राप्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से, देश भर में सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान तथा सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जो कि **अनुबंध-2** में वर्णित हैं।

(ख): विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान एनसीडीसी द्वारा संवितरित किए गए ऋणों का राज्य-वार विवरण और उनकी संख्या **अनुबंध-3** में संलग्न है।

(ग): विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों को एनसीडीसी द्वारा संवितरित किए गए ऋणों का जिला-वार विवरण तथा उनकी संख्या क्रमशः **अनुबंध-4** और **अनुबंध-5** में संलग्न है।

*****

अनुबंध- 1

एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित योजनाएं

I. कार्यान्वित केन्द्रीय योजनाएं:

1) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन एवं संवर्धन हेतु योजना - कृषि, एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।
2) मत्स्यिकी तथा एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) योजना - मत्स्य-पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ।
3) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)- मत्स्य-पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ।
4) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
5) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)- एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य वर्धन तथा संरचना स्कीम - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ।
6) कृषिक विपणन संरचना (एएमआई) – भंडारण अवसंरचना, केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन (आईएसएएम) स्कीम की उपयोजना- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7) कृषिक विपणन संरचना (एएमआई) - भंडारण अवसंरचना के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन (आईएसएएम) स्कीम की उपयोजना - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
8) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)/ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)/ राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
9) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

II. एनसीडीसी प्रायोजित योजनाएं / सहायता कार्यकलाप:

1) विपणन,
2) प्रसंस्करण,
3) भंडारण,
4) शीत श्रृंखला,
5) सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण,
6) औद्योगिक,
7) ऋण एवं सेवा सहकारिताएं/ अधिसूचित सेवाएँ,
8) सहकारी बैंकिंग इकाई,
9) कृषि सेवाएं,
10) चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं,
11) कमजोर वर्गों की सहकारी संस्थाएं: मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु. जा.,जन-जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोश-कीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रमसहकारी संस्थाएं।
12) सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता,

13) युवा सहकार - सहकारी उद्यम सहायता एवं नवीन सहकारिता स्कीम,
14) आयुष्मान सहकार – हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए,
15) नंदिनी सहकार – महिला सहकारी संस्थाओं के लिए,
16) डेयरी सहकार,
17) डिजिटल सहकार,
18) कृषक दीर्घावधि सहकार योजना - कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए
19) स्वयंशक्ति सहकार योजना - क्रेडिट सहकारी समितियों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने के लिए।
20) संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम

*****

क. <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाना (14 पहलें)</u>

1. **पैक्सों को बहु-उद्देशीय, बहु-आयामी और पारदर्शी संस्थान बनाने के लिए आदर्श उपविधियां:** पैक्स को 25 से अधिक व्यवसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाने हेतु आदर्श उपविधियों को तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार अपनाने हेतु परिचालित की गईं । आदर्श उपविधियां को 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है।
2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सशक्तिकरण:** 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय से 63,000 पैक्सों को एक ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया की शुरुवात की गई है।
3. **अनावरित पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां:** आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को शामिल करते हुए 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित करने की एक योजना अनुमोदित की गई है ।
4. **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदामों और अन्य कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केन्द्र (CSCs) के रूप में पैक्स:** 17,000 से अधिक पैक्सों को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने, ई-सेवाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए कॉमन सेवा केन्द्र के रूप में आनबोर्ड किया गया।
6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन:** ऐसे प्रखंडों में जहां किसान उत्पादक संघों का गठन नहीं हुआ है या ऐसे प्रखंड जो किसी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, में 1,100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों के गठन की अनुमति दी गई ।
7. **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीज़ल आउटलेट के आवंटन में प्राथमिकता:** पैक्स को खुदरा पेट्रोल/ डीज़ल आउटलेटों के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल किया गया है । थोक पेट्रोल पम्प लाइसेंस वाले मौजूदा पैक्सों को खुदरा आउटलेटों में परिवर्तित होने की अनुमति दी गई ।
8. **अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप**: पैक्सों को अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई।
9. **ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की सुगम पहुंच के लिए जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: पैक्सों को अतिरिक्त आय सृजन हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र चलाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है।
10. **उर्वरक वितरण हेतु प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PMKSK) के रूप में पैक्स:** देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्सों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) चलाने के लिए अनुमति दी गई।
11. **ऊर्जा सुरक्षा हेतु पैक्स स्तर पर PM-KUSUM योजना का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर- कृषि जल पंप के उपयोग को अपना कर अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं ।

12. **पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन व रखरखाव (O&M) का कार्य किया जाना:** पैक्सों को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नल जल आपूर्ति (PWS) के लिए प्रचालन और रखरखाव कार्य की अनुमति दी गई ।
13. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-ATMs से बैंक मित्र सहकारी समितियां:** सहकारी बैंकों द्वारा माइक्रो-ATMs अब सहकारी समितियों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, पैक्सों को दिए जा सकते हैं ।
14. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड**: तुलनात्मक रूप से निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है ।

ख. <u>शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तीकरण (9 पहलें)</u>

15. शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विस्तार के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है।
16. शहरी सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं देने की अनुमति दी गई है ।
17. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों के वन-टाइम निपटान की अनुमति दी गई है ।
18. शहरी सहकारी बैंकों को दिए गए प्राथमिक सेक्टर ऋण (PSL) लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई गई ।
19. शहरी सहकारी बैंकों के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ।
20. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई ।
21. ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा अब वाणिज्यिक रीयल एस्टेट/रिहाइशी आवासन सेक्टर को ऋण दिए जा सकेंगे, जिससे उनके कारोबार का विविधीकरण होगा ।
22. 'आधार समर्थित भुगतान प्रणाली' (AePS) में सहकारी बैंकों को ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है ।
23. ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए CGTMSE योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) के रूप में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अधिसूचित किया गया ।

ग. <u>अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत (6 पहलें)</u>

24. ऐसी सहकारी समितियां जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, के अधिभार को 12% से घटाकर 7% किया गया ।
25. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर-दर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया ।
26. सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया गया ।
27. 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों की मौजूदा 30% की कर-दर एवं अधिशेष को कम करके 15% किया गया है ।
28. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको (PCARDBs) द्वारा नकद में जमा व ऋण की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया ।

29. सहकारी समितियों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) किए बिना, नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया ।

घ. सहकारी चीनी मिलों को पुन:सक्रिय करना (4 पहलें)

30. **सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत**: सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य के सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा ।
31. **सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान**: मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए सहकारी समितियों को गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों पर 10,000 करोड़ रुपए की राहत के साथ, व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति दी गई है ।
32. **सहकारी चीनी मिलों के सशक्तीकरण के लिए एनसीडीसी द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ**: इस योजना के द्वारा एथनॉल संयंत्र स्थापित करने या कोजेनरेशन संयंत्र लगाने या कार्यशील पूंजी के लिए अथवा तीनो कार्यों के लिए ऋण देने की अनुमति दी गई है ।
33. **सहकारी चीनी मिलों को एथनॉल की खरीद में प्राथमिकता**: एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (EBP) के तहत भारत सरकार द्वारा एथनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप बनाया गया है ।

ङ. राष्ट्रीय स्तर पर तीन नयी बहुराज्य समितियाँ (3 पहलें)

34. **प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति:** बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी ।
35. **जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक समिति:** प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी ऑर्गैनिक सोसाइटी की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है ।
36. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति:** सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत शीर्ष स्तर की नई बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी ।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण (3 पहलें)

37. **विश्व के सबसे बड़े सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना :** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षित जन शक्ति की सतत और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय ।
38. **सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नई योजना:** सहकारी आंदोलन को सशक्त करने, VAMNICOM, NCCT और JCTC की फैकल्टी का क्षमता निर्माण, सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना, इत्यादि ।
39. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता संवर्द्धन:** एनसीसीटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और लगभग 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया ।

छ. <u>'सुगम व्यवसाय' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग (2 पहलें)</u>

40. **केन्द्रीय पंजीयक के कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए कम्प्यूटरीकरण:**बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल परितंत्र तैयार करने तथा आवेदनों और सेवा अनुरोधों पर समयबद्ध ढंग से निपटान हेतु निर्णय लिया गया है ।

41. **राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों (RCS) के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि एवं पारदर्शी कागज-रहित कार्यप्रणाली के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण ।

ज. <u>अन्य पहलें (7 पहलें)</u>

42. **प्रमाणित और अद्यतित डाटा भंडार के लिए नयी राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस:**हितधारकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों का एक डाटाबेस तैयार करना ।

43. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण**: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना की प्राप्ति के लिए एक समर्थकारी परितंत्र के सृजन हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए देश भर के 49 विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई।

44. **बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022:** बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाविष्ट करने, शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करने के लिए विधेयक, लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है ।

45. **जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में शामिल करना**: सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होकर किफायती व अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 40 लाख विक्रेताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु सक्षम बना दिया गया है।

46. **कार्यक्षेत्र व पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का विस्तार**: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं-सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार ' की नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी ने 41,024 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का संवितरण किया।

47. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण:**दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त बनाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना का निर्णय लिया गया है ।

48. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:**सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को उनकी समुचित पहचान और उनकी जमाराशियों एवं दावों के प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर पारदर्शी ढंग से भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ।

******

अनुबंध -3

एनसीडीसी द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23	
	संवितरण की संख्या	संवितरित राशि	संवितरण की संख्या	संवितरित राशि	संवितरण की संख्या	संवितरित राशि
आंध्र प्रदेश	7	603.98	18	2831.59	46	9734.70
अरुणाचल प्रदेश	1	1.44	1	0.25	3	0.38
असम	1	5.59	13	3.57	38	17.48
बिहार	6	1633.60	19	2857.90	105	4053.75
छत्तीसगढ़	2	12000.07	14	12400.87	45	8502.23
गुजरात	11	52.25	37	37.40	72	370.80
हरियाणा	5	6645.11	18	12827.75	32	6655.24
हिमाचल प्रदेश	9	36.90	14	14.74	30	12.91
झारखंड	2	0.92	18	1.79	47	4.63
कर्नाटक	37	170.69	42	164.49	52	112.54
केरल	34	303.54	34	371.85	63	704.74
मध्य प्रदेश	13	208.36	29	477.10	83	284.40
महाराष्ट्र	41	1145.59	37	688.07	58	751.16
मणिपुर	-	-	1	0.04	15	30.38
मेघालय	1	57.80	1	0.04	6	0.14
मिज़ोरम	2	2.16	1	1.06	9	4.23
नागालैंड	6	6.07	2	0.17	29	1.20
ओडिशा	2	0.80	17	4.06	39	1.61
राजस्थान	8	157.80	15	7.79	58	4.91
तमिलनाडु	7	21.58	13	50.75	67	30.49
तेलंगाना	14	739.88	14	1092.20	42	9304.97
त्रिपुरा	3	3.20	3	3.00	19	12.35
उत्तराखंड	8	17.22	12	80.36	55	10.50
उत्तर प्रदेश	36	827.95	47	252.33	105	350.29
पश्चिम बंगाल	7	59.13	8	44.16	31	63.36
अन्य	12	31.57	11	7.75	49	12.05
कुल	**275**	**24733.20**	**439**	**34221.08**	**1198**	**41031.44**

*****

अनुबंध- 4

विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान,मध्य प्रदेश राज्य में एनसीडीसी द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का जिला-वार विवरण			
2020-21			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि(करोड़ रुपये में)**
1	भोपाल	7	7.52
2	देवास	1	60.00
3	धार	1	45.00
4	झाबुआ	1	0.65
5	खरगोन	1	0.29
6	मन्दसौर	1	74.90
7	सीहोर	1	20.00
कुल (2020-21)		**13**	**208.36**
2021-22			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि(करोड़ रुपये में)**
1	भोपाल	16	20.96
2	दमोह	1	0.01
3	देवास	1	90.00
4	धार	1	135.00
5	इंदौर	1	0.70
6	खरगोन	1	0.00
7	मन्दसौर	1	150.00
8	मुरैना	5	0.16
9	सीहोर	1	80.00
10	सिवनी	1	0.28
कुल (2021-22)		**29**	**477.10**
2022-23			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि(करोड़ रुपये में)**
1	बालाघाट	1	0.02
2	भोपाल	28	9.18
3	छतरपुर	10	0.42
4	दमोह	2	0.06
5	देवास	2	145.00
6	ग्वालियर	9	0.31
7	हरदा	4	0.14
8	होशंगाबाद	2	0.10
9	झाबुआ	1	50.00
10	खरगोन	2	27.60
11	मुरैना	8	0.31
12	नर्मदापुरम	6	0.23
13	सीहोर	4	50.10
14	सिवनी	2	0.85
15	उज्जैन	2	0.10
कुल (2022-23)		**83**	**284.40**

*****

अनुबंध- 5

विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22 और 2022-23) के दौरान, छत्तीसगढ़राज्य में एनसीडीसी द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का जिला-वार विवरण			
2020-21			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
1	मुंगेली	1	0.07
2	रायपुर	1	12000.00
कुल (2020-21)		**2**	**12000.07**
2021-22			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
1	मुंगेली	1	0.01
2	रायपुर	13	12400.86
कुल (2021-22)		**14**	**12400.87**
2022-23			
क्रमांक	**जिले का नाम**	**संवितरण की संख्या**	**संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)**
1	बालोद	2	0.08
2	बलौदाबाजार	6	0.23
3	बेमेतरा	11	0.41
4	रायपुर	20	8501.23
5	राजनांदगांव	6	0.29
कुल (2022-23)		**45**	**8502.23**

*****